

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक:- ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी.(बीपी)/2025/डी-972

दिनांक:- 26/5/2025

(भवन निर्माण स्वीकृति पत्र)

यदुराज कैम्पस एल.एल.पी.,

जरिये अधिकृत पार्टनर,

श्री रामचन्द्र यादव,

यादव फार्म हाउस,

अजमेर रोड, जयपुर।

विषय:- भूखण्ड संख्या आर.एफ.-1, ग्राम दहमी कलां, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय (स्टूडियो अपार्टमेन्ट) प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 321वीं बैठक दिनांक 25.03.2025 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें लिये गये निर्णयानुसार भवन निर्माण स्वीकृति निम्नानुसार जारी की जाती है:-

1.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	3430.15 व.मी.	
2.	भूखण्ड के सामने सड़क की चौड़ाई	18 मीटर, 18 मीटर, 18 मीटर	
3.	लीजडीड जारी दिनांक	14.02.2025	भू-उपयोग:- आवासीय प्रयोजनार्थ
4.	पुर्नगठित/एकल पट्टा/उप विभाजन	एकल पट्टा (आवासीय प्रयोजनार्थ)	
5.	प्रस्तावित भवन मानचित्रों का प्रयोजन	आवासीय (स्टूडियो अपार्टमेन्ट) प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत् ।	
6.	वास्तुविद का नाम एवं पंजीयन क्रमांक	श्री पुनीत दुआ, सी.ए./2005/35530	

अनुमोदित मानदण्ड:-

1.	भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि	यह भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि मानचित्र जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष अर्थात दिनांक 22.05.2032 तक प्रभावी होगी।			
2.	सैटबैक	सामने-I (18 Mtr.)	पार्श्व-I (18 Mtr.)	पार्श्व-II (18 Mtr.)	पीछे
		10.80 मी.	10.80 मी.	10.80 मी.	10.80 मी.
3.	सकल निर्मित क्षेत्रफल	18,710.97 व.मी.			
4.	बी.ए.आर.	3.72 (12,781.75 व.मी.)			
5.	आच्छादित क्षेत्रफल	39.43 प्रतिशत (1352.37 व.मी.)			
6.	ऊँचाई	0.60 मी. (प्लिन्थ) + 3.0 मी. (स्टिल्ट) + 37.80 मी. (भूतल से 11 तल) + 5.0 मी. (मशीन रूम/ममटी/वाटर टैंक/आर्किटेक्चरल एलीमेन्ट) कुल 46.40 मी.			
7.	पार्किंग	कार	स्कूटर	बस	कुल ईसीयू
		सरफेस	मैकेनिकल		
		84	-	84	-
					112 ईसीयू

तथ्य:-

1.	प्रथम अनुमोदन/संशोधन	प्रथम अनुमोदन
2.	समिति की बैठक संख्या एवं दिनांक	321वीं बैठक दिनांक 25.03.2025

अनापत्ति प्रमाण पत्र:-

1.	अग्निशमन विभाग	अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत की जानी है।
----	----------------	--

Signature valid

Digitally signed by Rinku Bansal
Designation: Additional Chief town
Planner
Date: 2025.05.26 13:11:45 IST
Reason: Approved



2.	पर्यावरण विभाग का Consent to operate	अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत की जानी है।
3.	भारतीय नागरिक उड्डयन विभाग	भूखण्ड C.C.Z.M.-2023 की सीमा से बाहर है। साईट कॉर्डिनेट्स निम्नानुसार है:-
		26 49 57.00 N 75 33 49.80 E

सामान्य शर्तें:-

1. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त जोन-12, प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
2. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
3. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।
4. भवन का उपयोग प्रारंभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावे जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
5. विकासकर्ता द्वारा भवन के परिसर को स्वीकृत मानचित्र में दर्शित/निर्धारित अनुसार ही उपयोग में लिया जावेगा।
6. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2(x) के अनुसार भवन में अपेक्षित सेवाओं यथा प्रस्तावित जल वितरण प्रणाली, जल मल निकासी प्रणाली, विद्युत सेवाएँ, वातानुकूल सेवाएँ आदि से संबंधित मानचित्रों के दो सैट जो कि आवेदित परियोजना की डिजाइन व निर्माण की क्रियान्विति हेतु अनुबंधित किये गये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट एवं परियोजना के स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ही प्रमाणित किये हुये, अधिकतम 90 दिवस की अवधि में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा।
7. प्रकरण बहुमंजिला भवन होने के कारण भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2(xi) के अनुसार आप द्वारा भवन में अग्निशमन संबंधित प्रावधान एन.बी.सी. के अनुसार रखे जाने आवश्यक होंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। भवन निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात अधिवास प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. परियोजना में भूखण्ड के क्षेत्रफल, प्रस्तावित सकल निर्मित क्षेत्रफल एवं ऊँचाई अनुसार भवन विनियम 2020 से संबंधित प्रावधान संख्या 10.11 (पर्यावरण संरक्षण हेतु नियम), नियम 10.11.1 (वर्षा जल संग्रहण), 10.11.2 व नविवि के आदेश दिनांक 07.09.2021 (अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलींग हेतु प्रावधानों की अनुपालना) 10.11.3 (पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण), 10.11.4 (सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल), 10.11.5 (सौर ऊर्जा संयंत्र), 10.11.2.5 व 16.3 (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट), 12.1 (पार्किंग क्षेत्र की पालना), 12.3 (विद्युत आवश्यक की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेन्सी के प्रावधान), विनियम संख्या 15 (निर्माण कार्य के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया), नियम संख्या 15.5 (भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण) के प्रावधानों की अनुपालना की जानी होगी।
9. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.1.4 (अ) के अनुसार आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत EV Charging Facility के प्रावधान की मौके पर सुनिश्चितता की जावेगी।
10. भवन में RPWD Act 2016, UNCRPD Act 2006 एवं प्रचलित भवन विनियम में विनिर्दिष्ट धाराओं के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिए आवश्यक मापदण्ड/सुविधाओं/साईन बोर्ड/दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
11. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुसार भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.4 के अनुसार भवन में Common Telecom Infrastructure (CTI) के प्रावधान की पालना सुनिश्चित

Signature valid

Digitally signed by Rinku Bansal
Designation: Additional Chief town
Planner
Date: 2025.05.26 13:11:45 IST
Reason: Approved

- की जानी होगी।
12. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भूखण्ड से लगती हुई सम्पूर्ण सभी सडकों का विकास, फुटपाथ एवं वृक्षारोपण का प्रावधान स्वयं के व्यय पर सुनिश्चित किया जाना होगा।
 13. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भवन में प्रत्येक लिफ्ट में ए.आर.डी. (Automatic Rescue Device) सिस्टम का प्रावधान रखा जाना होगा।
 14. आकाशीय बिजली से बचाव हेतु भवन में Thunder stick (तडित चालक) का प्रावधान रखा जाना अनिवार्य होगा।
 15. भवन परिसर में आगंतुकों की पार्किंग उपलब्ध करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
 16. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावे।
 17. यह भवन निर्माण स्वीकृति स्वामित्व का दस्तावेज नहीं हैं।
 18. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
 19. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
 20. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
 21. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
 22. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते हैं कि आप द्वारा परियोजना के अधिवास प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र जविप्रा में जमा कराना होगा, उसके पश्चात ही अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
 23. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते हैं कि आप द्वारा परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के पश्चात नियमानुसार पूर्णता एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक हैं।
 24. आप द्वारा लेबर सेस की प्रति वर्ष शेष राशि स्वयं के स्तर पर लेबर विभाग में जमा करवाई जानी होगी।

विशेष शर्त:-

1. प्रश्नगत भूखण्ड की प्री होल्ड लीजडीड दिनांक 14.02.2025 को जारी की गई हैं। अतः भवन निर्माण अवधि 3 वर्ष अर्थात दिनांक 13.02.2028 तक देय होगी।
2. यह भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि मानचित्र जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष अर्थात दिनांक 22.05.2032 तक प्रभावी होगी।
3. यह भवन निर्माण स्वीकृति आप द्वारा गांग राशि जमा होने एवं बेटरमेन्ट लेवी हेतु निम्नानुसार पांच उत्तर दिनांकित चैक प्रस्तुत किये जाने के आधार पर दी जा रही है:-

बैंक का नाम	चैक संख्या	राशि	किश्त	दिनांक
HDFC BANK	000273	24,87,009 /-	प्रथम	24.04.2026

Signature valid

Digitally signed by Rinku Bansal
Designation: Additional Chief town
Planner
Date: 2025.05.26 13:11:45 IST
Reason: Approved

000274	24,87,009 /-	द्वितीय	24.01.2027
000275	24,87,009 /-	तृतीय	24.10.2027
000276	24,87,009 /-	चतुर्थ	24.07.2028
000277	24,87,009 /-	पंचम	24.04.2029

यदि आप द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांकित चैक अनादरित (Dishonor) होते हैं तो नियमानुसार ब्याज देय होगा एवं आप द्वारा बेटरमेन्ट लेवी राशि जमा नहीं करवाये जाने पर भवन निर्माण स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। भवन मानचित्र समिति (विल्डिंग प्लान) की 276वीं बैठक दिनांक 11.08.2023 में लिये गये नीतिगत निर्णयानुसार उत्तर दिनांकित चैक अनादरित (Dishonor) होने पर भविष्य में आपकी किसी भी अन्य परियोजना का जविप्रा द्वारा अनुमोदन नहीं किया जावेगा तथा मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन) द्वारा जविप्रा एक्ट की धारा 32, 33, 34ए एवं अन्य संबंधित धाराओं के प्रावधानानुसार उक्त परियोजना का कार्य को मौके पर रूकवाने हेतु सूचित किया जाकर प्रवर्तन शाखा द्वारा भवन को रीज करने की अविलम्ब कार्यवाही की जावेगी।

4. यह भवन निर्माण स्वीकृति स्वाभित्व का दस्तावेज नहीं है।

संलग्न:- मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (12 मानचित्र)

भवदीया,

**अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।**

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (12 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपायुक्त जोन-12, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (12 मानचित्र) संलग्न कर लेख है कि भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.1 (बहुमंजिला भवनों हेतु) के क्रम में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढीकरण (Upgradation) हेतु विकास योजनाएँ तैयार किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
3. प्रबंध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत भवन जनपथ, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग हसनपुरा रोड, रेल्वे हॉस्पिटल के पास, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. उपायुक्त राजस्व-प्रथम, नगर निगम, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ. 60/उपा. रा (प्रथम)/जननि/2019/18 दिनांक 08.03.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
6. चीफ एयरपोर्ट अधिकारी, जयपुर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

**अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।**

Signature valid

Digitally signed by Rinku Bansal
Designation: Additional Chief town
Planner
Date: 2025.05.26 13:11:45 IST
Reason: Approved

अनुमोदित


उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर


नरेश कुमार निबोधक
पवन भास्कर सिंह
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर


अतिरिक्त मुख्य नगर निर्माहक
पवन भास्कर सिंह
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

AREA CALCULATIONS								
	A	B	C	D = B-C	E	F	G	H
S.NO.	FLOOR	BLOCK AREA	CUT-OUT	G.B.U.A.	UFTWELL & FIRE STAIRCASE	Projection, Chajja	Club House	B.A.R.
		(Sq.Mt.)	(Sq.Mt.)	(Sq.Mt.)	(Sq.Mt.)	(Sq.Mt.)	(Sq.Mt.)	(Sq.Mt.)
1	BASEMENT FLOOR	2897.8	6.71	2891.09	15.00	0.00	0.00	
2	STILT FLOOR	1511.44	8.03	1503.41	47.53	0.00	50.10	50.10
3	GROUND FLOOR	1206.97	8.03	1198.94	33.48	368.04	579.70	797.42
4	FIRST FLOOR	1181.00	38.08	1142.92	33.48	24.51		1084.93
5	SECOND FLOOR	1181.00	38.08	1142.92	33.48	24.51		1084.93
6	THIRD FLOOR	1181.00	38.08	1142.92	33.48	24.51		1084.93
7	FOURTH FLOOR	1181.00	38.08	1142.92	33.48	24.51		1084.93
8	FIFTH FLOOR	1181.00	38.08	1142.92	33.48	24.51		1084.93
9	SIXTH FLOOR	1181.00	38.08	1142.92	33.48	24.51		1084.93
10	SEVENTH FLOOR	1181.00	38.08	1142.92	33.48	24.51		1084.93
11	EIGHTH FLOOR	1181.00	38.08	1142.92	33.48	24.51		1084.93
12	NINTH FLOOR	1181.00	38.08	1142.92	33.48	24.51		1084.93
13	TENTH FLOOR	1181.00	38.08	1142.92	33.48	24.51		1084.93
14	ELEVANTH FLOOR	1181.00	38.08	1142.92	33.48	24.51	-	1084.93
15	TERRACE FLOOR	457.22	0.00	457.22				0.00
16	SERVICES, G.ROOM	38.10	0.00	38.10				
	TOTAL	19152.82	441.65	18710.97	464.29	637.65	629.80	12781.75
	TOTAL ACHIEVED BAR =	12781.75						

PLOT AREA		3430	15	(SQ. MI.)
PERMISSIBLE MAXIMUM B.A.R.	2.00	6860	30	(SQ. MI.)
ACHIEVED BUILDING HEIGHT	3.73	1273	15	(SQ. MI.)
PURCHASABLE B.A.R.	1.73	5924	45	(SQ. MI.)
ACHIEVED GROUND COVER	4.00	12726	30	(SQ. MI.)
ACHIEVED GROUND COVER	39.43%	1352	37	(SQ. MI.)
ACHIEVED ROADS BUILT UP AREA		15710	97	(SQ. MI.)
ACHIEVED BUILDING HEIGHT AS PER SETBACK		37.80	106	(SQ. MI.)
ACHIEVED BUILDING HEIGHT (4'-0" TO 15'-0" PLT. TYPE) - 3.00 MI. PLT. TYPE				
TERRR. TOT.				
REQUIRED GREEN AREA 10%		343.00	10	(SQ. MI.)
PROVIDED GREEN AREA	10.15%	348.19	10	(SQ. MI.)
CLIM AREA MAXIMUM PERMISSIBLE	10.00%	638.00	19	(SQ. MI.)
CORROB FOLLOWS REQUIREMENT 21.2 OF THE ZONING ORDINANCE (19.88 SQ. MI.) OR				
50.0 SQ. MI. (WHICHEVER IS LESS)				
PROPOSED COMBINED FACILITIES ON STILL T FLT. FLOOR		60.10		
PROPOSED CLIM ON GROUND FLOOR		679.70		
TOTAL ACHIEVED CLUB HOUSE AREA	4.93%	628.80		(SQ. MI.)

S.NO.	TECHNICAL ANALYSIS	AS PER SITE PLAN/AS PER BUILDING BYELAWS 2020	PROVIDED
1	SETBACK		
	FRONT SETBACK	10.80 M	10.80 M
	SIDE SETBACK I	10.80 M	10.80 M
	SIDE SETBACK II	10.80 M	10.80 M
	REAR SETBACK	10.80 M	10.80 M
2	PARKING		
	CAR PARKING	83.35 C.U.	84.00 C.U.
	SCOOTER PARKING	27.78 C.U.	28.00 C.U. (84 NOS)
	TOTAL PARKING	111.15 C.U.	112.00 C.U.

PARKING CALCULATIONS

REQUIRED E.C.U.

NO. OF E.C.U. REQUIRED @ 1 E.C.U. PER

RESIDENTIAL PARKING = $\frac{\text{BAR ACHEIVED}}{115} = \frac{12781.75}{115} = 111.15 \text{ E.C.U.}$

TOTAL REQUIRED PARKING = 111.15 E.C.U

75% CAR REQUIRED = $111.15 \times 0.75 = 83.35 \text{ E.C.U.}$

25% SCOOTER REQUIRED = $111.15 \times 0.25 = 27.78 \text{ E.C.U.}$ 83.35 SCOOTER

PARKING PROVIDED

CAR PARK IN OPEN AREA = 19 CARS

CAR PARK IN ST/LT = 29 CARS

CAR PARK IN BASEMENT-1 = 36 CARS

TOTAL CARS PROVIDED = 84 E.C.U.

SCOOTER PARKING IN BASEMENT-1 = 47 SCOOTERS

SCOOTER PARKING IN ST/LT = 37 SCOOTERS

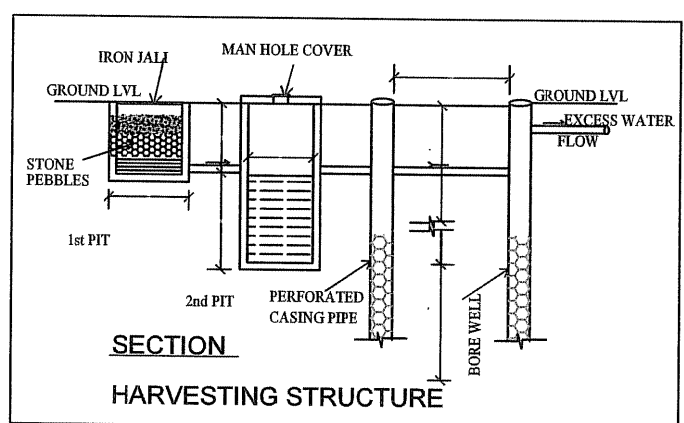
TOTAL SCOOTERS PROVIDED = 84 NOS. -28.33 E.C.U.

TOTAL PARKING PROVIDED E.C.U. = 84.00 + 28.00 = 112.00 E.C.U.

REQUIRED ELECTRICAL VEHICLE CHARGING POINT = 111.1 E.C.U.

PROPOSED ELECTRICAL VEHICLE CHARGING POINT = 12 E.C.U.

CAR PARKING BIFURCATION			
	CAR	SCOOTER	TOTAL
OPEN	19	-	19 E.C.U.
STILT	29	37 (12.33 E.C.U.)	41.33 E.C.U.
BASEMENT-1	36	47 (15.66 E.C.U.)	43.66 E.C.U.
TOTAL	84	84 (28.00 E.C.U.)	112.00 E.C.U.



क वायावय का अनुवादन किता की कवि-
 णवत नुनि/नुनयन के प्रति स्वाभिव का
 मय-पव नती मान अथवा जो व हि
 एवे फिनि के स्वाभिव स्वाभिव प्रविता
 य प्रमाणि होत
 नीचे किये गये अनुवादन मानविकी के
 स्वाभिव गये अवन विविध का अनुवा
 (STRUCTURE) का कविता कवि
 व कविता

construction checked at pilot level before proceeding for further construction.

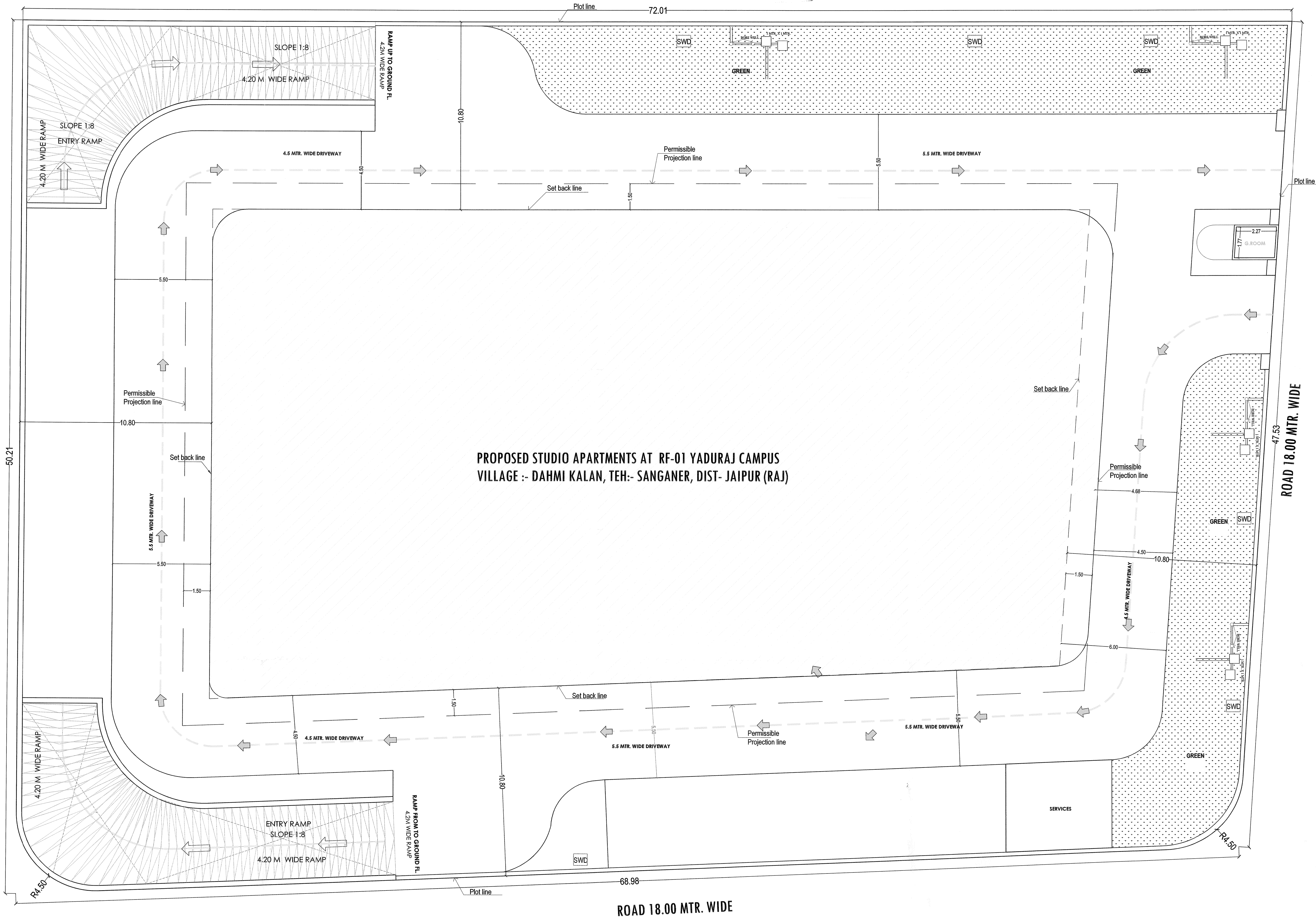
PARK

LANE 3.00 MTR. WIDE

[illegible]

LANE 6.00 MTR. W.

SHEET NO. 1



**PROPOSED STUDIO APARTMENTS AT RF-01 YADURAJ CAMPUS
VILLAGE :- DAHMI KALAN, TEH:- SANGANER, DIST- JAIPUR (RAJ)**

DRAWING TITLE:-
SITE PLAN

PROJECT TITLE:- SCHOLARIA

PROPOSED STUDIO APARTMENTS AT RF-01
YADURAJ CAMPUS VILLAGE :- DAHMI KALAN,
TEH:- SANGANER, DIST- JAIPUR (RAJ)

STUDIO SAARTH
ARCHITECT / URBAN DESIGNER

A:C -424 KING'S ROAD .NIRMAN NAGAR
JAIPUR - 302019 , RAJASTHAN

SCALE 1:100

DATE :- 11.02.2025

NORTH POINT 

YADURAJ CAMPUS ULF


Designated Partner

Ar. PUNEET DUA
CA/2005/35530

OWNER	ARCHITECT
-------	-----------

उपनगर नियोजन (B.P.)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य अंगर नियोजन
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

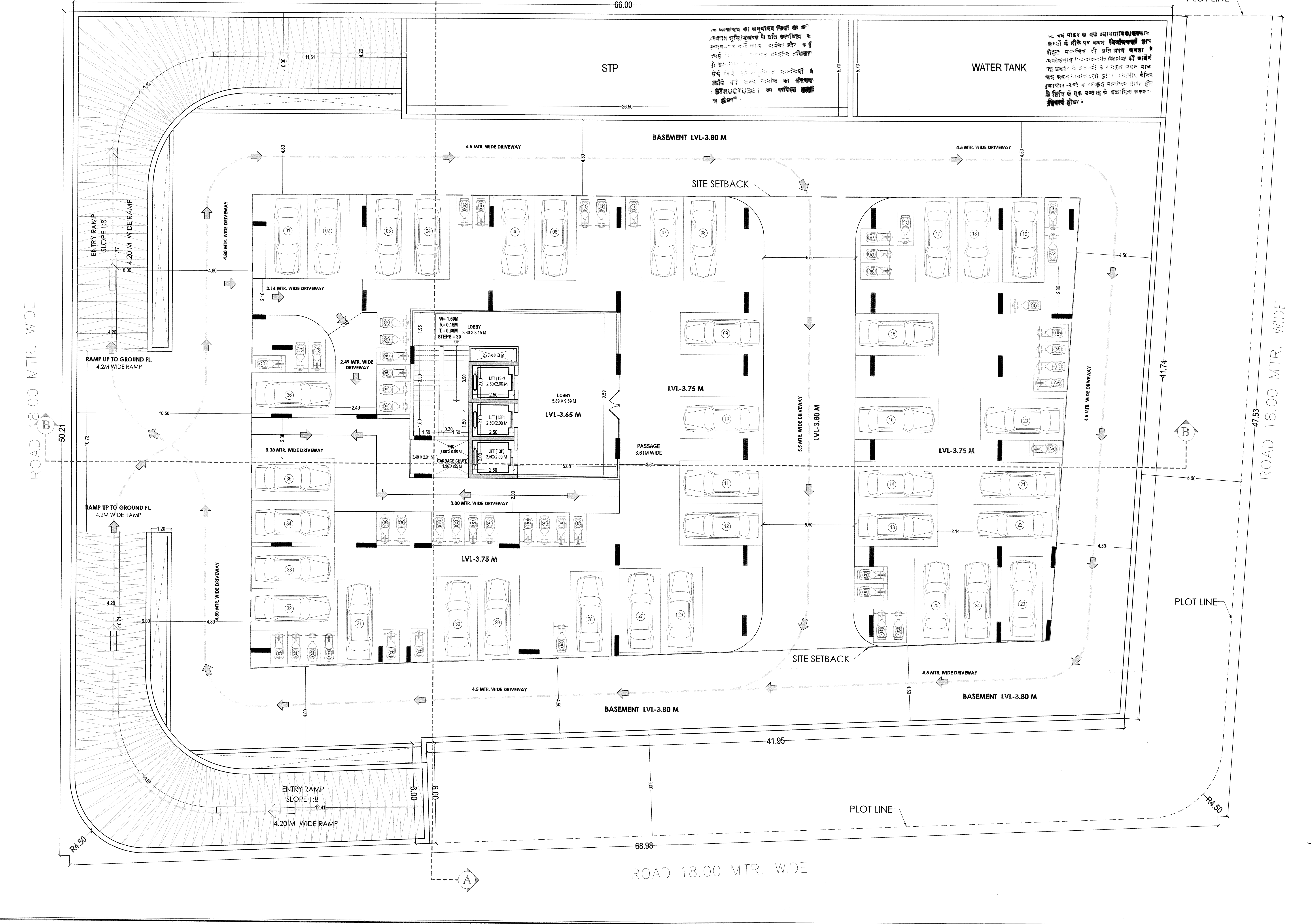
अतिरिक्त मुख्य अंगर नियोजन
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

LANE 3.00 MTR. WIDE

STP

LANE 6.00 MTR. WIDE

SHEET NO. 2



DRAWING TITLE:-
BASEMENT FLOOR PLAN

PROJECT TITLE:-
SCHOLARIA
PROPOSED STUDIO APARTMENTS AT RF-01-
DAHMI KALAN, TEH:- SANGANER, DIST- JAIPUR (RAJ)

STUDIO SAARTH
ARCHITECT / URBAN DESIGNER

A/C -424 KING'S ROAD ,NIRMAN NAGAR
JAIPUR - 302019 , RAJASTHAN

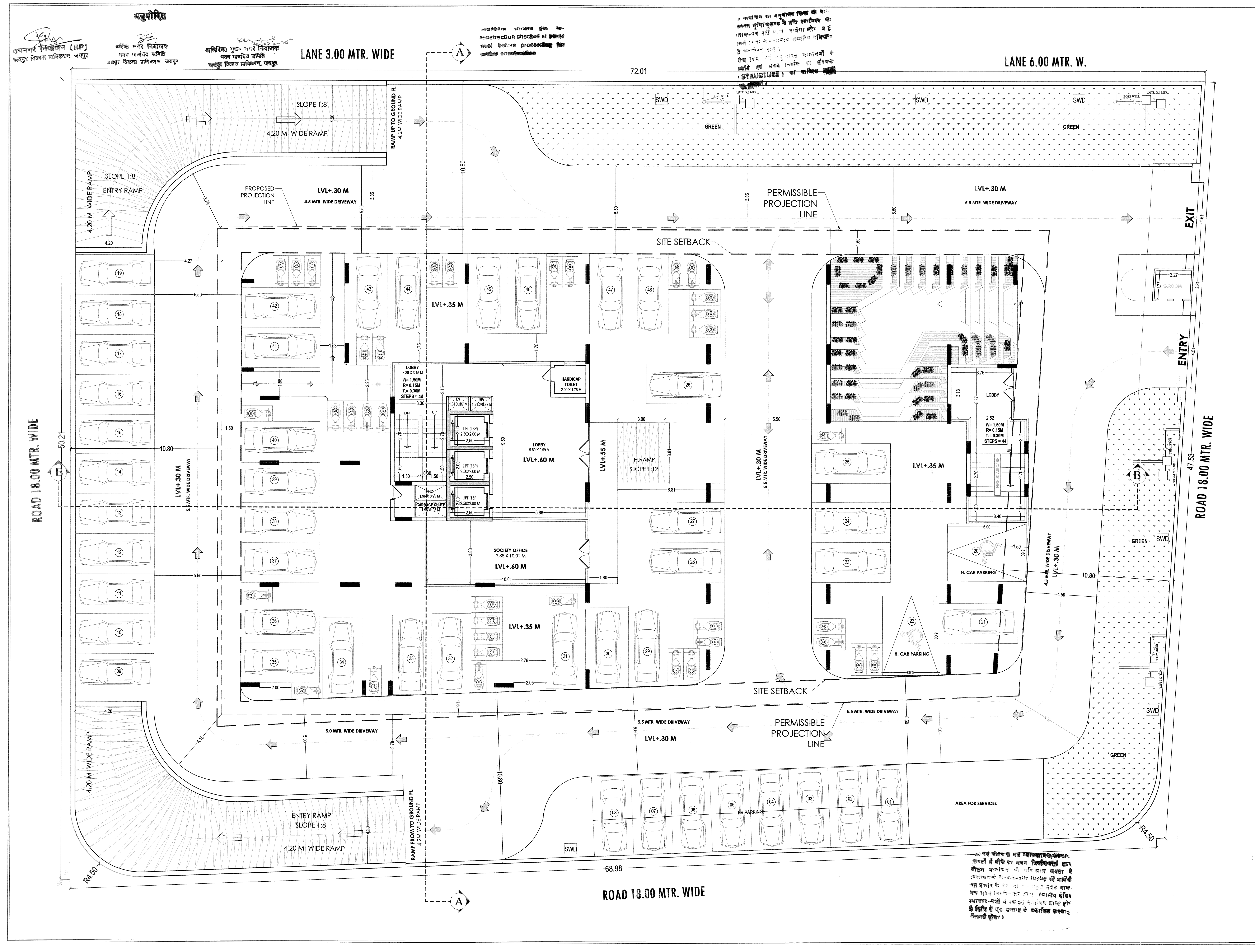
SCALE 1:100
DATE :- 11.02.2025

NORTH POINT
N

YADURAJ CAMPUS LLP
Designated Partner

Ar. PUNEET DUA
CA/2005/35530

OWNER
ARCHITECT



DRAWING TITLE:- STILT FLOOR PLAN	
PROJECT TITLE:- SCHOLARIA PROPOSED STUDIO APARTMENTS AT RF-01 YADURAJ CAMPUS VILLAGE - DAHMI KALAN, TEH- SANGANER, DIST- JAIPUR (RAJ)	
STUDIO SAARTH ARCHITECT / URBAN DESIGNER	
A/C -424 KING'S ROAD .NIRMAN NAGAR JAIPUR - 302019 , RAJASTHAN	
SCALE 1:100	NORTH POINT N
DATE :- 11.02.2025	
YADURAJ CAMPUS LLP Designated Partner Ar. PUNEET DUA CA/2005/35530	
OWNER	ARCHITECT

अनुमोदित

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

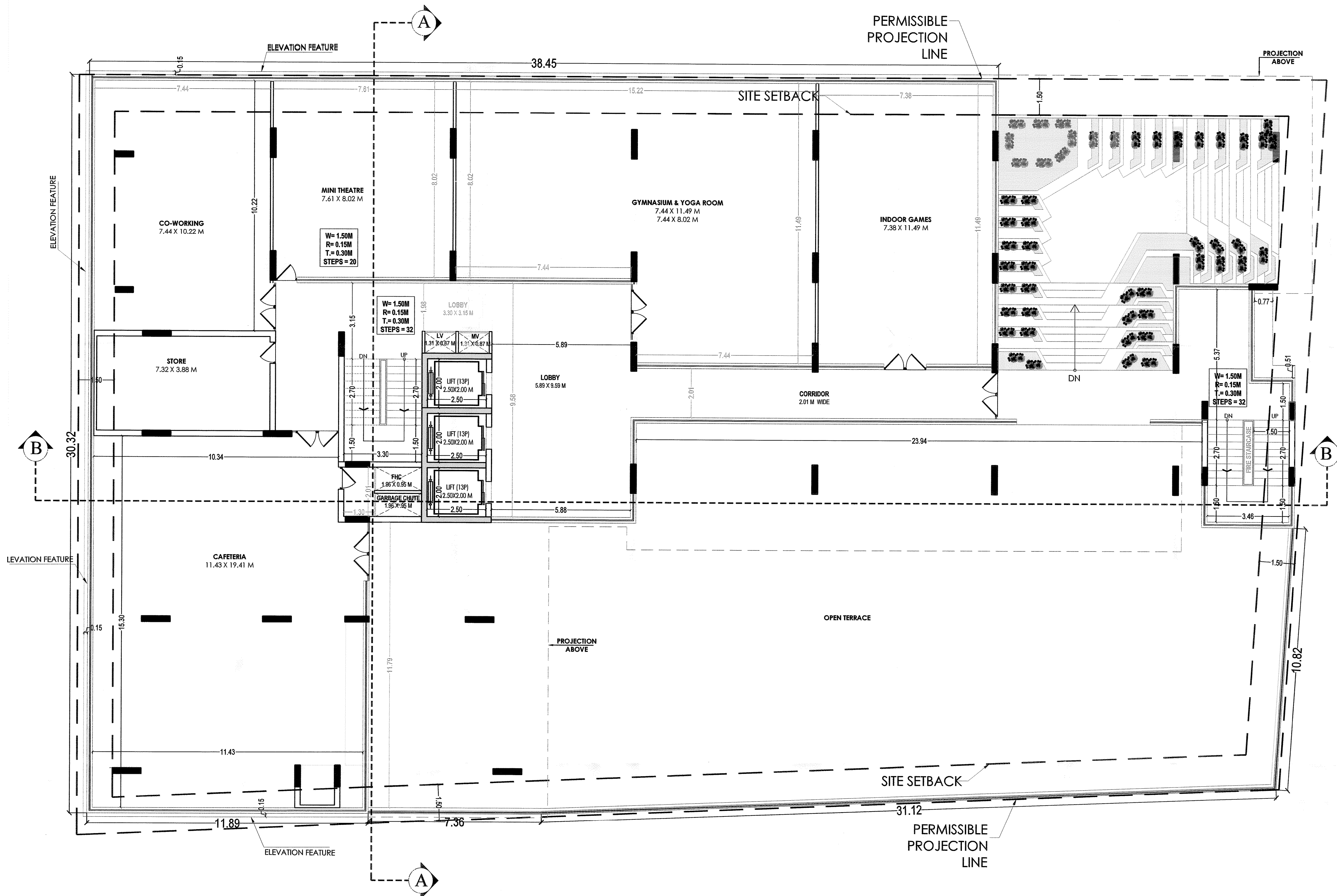
अनुराग नगर नियोजन
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजन
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

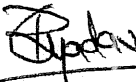
Construction checked at ground level before proceeding for further construction

के माध्यम से वास्तुशास्त्र (कौटिल्य) की कला
अनुराग नगर नियोजन के प्रति स्थापित के
आधार-पथ नहीं माना जायेगा और वे हैं
सबसे कम के दृष्टिकोण से स्थापित अतिरिक्त
के माध्यम से होते हैं।
शेडो किये गए अनुमोदित मानचित्रों के
आदि गये भवन नियोजन का संरचना
STRUCTURE का निर्माण करके
के क्षेत्र

SHEET NO. 4

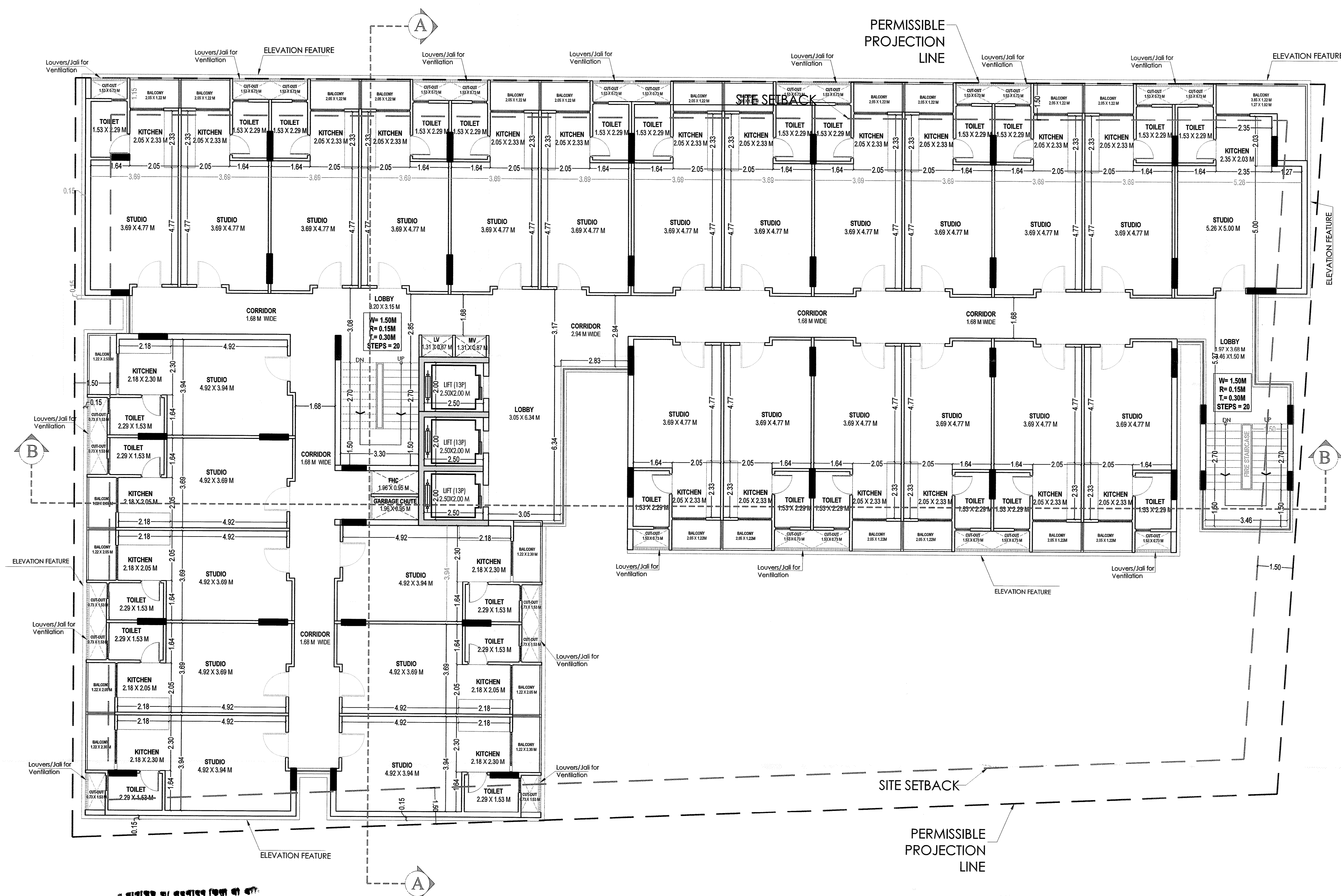


यह आरेख के सभी मापदंड/आकार
अनुराग नगर नियोजन के प्रति स्थापित के
आधार-पथ नहीं माना जायेगा और वे हैं
सबसे कम के दृष्टिकोण से स्थापित अतिरिक्त
के माध्यम से होते हैं।
शेडो किये गए अनुमोदित मानचित्रों के
आदि गये भवन नियोजन का संरचना
STRUCTURE का निर्माण करके
के क्षेत्र

DRAWING TITLE:- GROUND FLOOR PLAN	
PROJECT TITLE:- SCHOLARIA PROPOSED STUDIO APARTMENTS AT RF-01:- DAHMI KALAN, TEH:- SANGANER, DIST- JAIPUR (RAJ)	
STUDIO SAARTH ARCHITECT / URBAN DESIGNER	
A:C -424 KING'S ROAD .NIRMAN NAGAR JAIPUR - 302019 , RAJASTHAN	
SCALE 1:100	NORTH POINT 
DATE :- 11.02.2025	
YADURAJ CAMPUS LLP  Designated Partner	
Ar. PUNEET DUA CA/2005/35530	
OWNER	ARCHITECT

अतिरिक्त मुख्य नगर नियाजक
भवन मानचित्र समिति
नगर विकास प्राधिकरण, जयपुर

construction checked at plate level before proceeding for further construction.

[illegible]

● वातावरण का अनुवायन किता भी बर्तन
कमलत नून/सुखत के प्रति स्वाधिक के
धारा-पत्र तही माना जायेगा और वह
हमने किसे के स्वाधिक सहजिक अधिकार
के प्रभावित होंगे ।
मेने किसे गये अनुवायन मानविकी के
हमने गये भवन निर्माण का संरचना
STRUCTURE का परिवर्तन प्र-

DRAWING TITLE:-
TYPICAL FLOOR PLAN (1ST TO 11TH FLOOR PLAN)
PROJECT TITLE:-
SCHOLARIA PROPOSED STUDIO APARTMENTS AT RF-01:- DAHMI KALAN, TICH:- SANGANER, DIST:- JAIPUR (RAJ)

STUDIO SAARTH
ARCHITECT / URBAN DESIGNER

A:C -424 KING'S ROAD .NIRMAN NAGAR
JAIPUR - 302019 . RAJASTHAN

SCALE 1:100

	NORTH POINT
--	-------------

DATE :- 11.02.2025

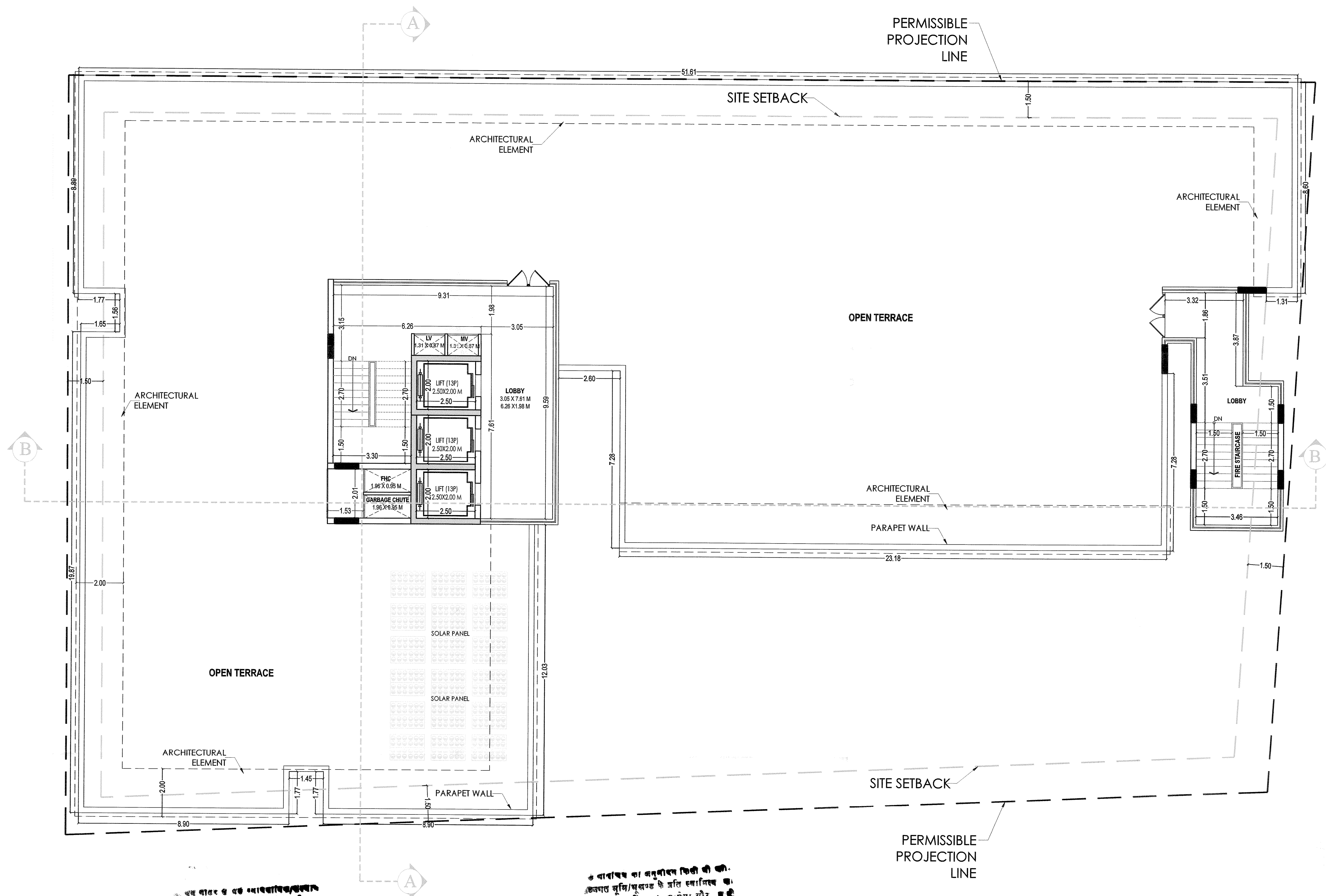
YADURAJ CAMPUS LLP

[Signature]
Designated Partner

Ar. PUNEET DUA
CA/2005/35530

OWNER

ARCHITECT



अतिरिक्त भवन निर्माण
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर निर्माण
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

DRAWING TITLE:-
TERRACE FLOOR PLAN

PROJECT TITLE:- SCHOLARIA

PROPOSED STUDIO APARTMENTS AT RF-01
YADURAJ CAMPUS VILLAGE - DAHMI KALAN,
TEH:- SANGANER, DIST- JAIPUR (RAJ)

STUDIO SAARTH
ARCHITECT / URBAN DESIGNER

A:C -424 KING'S ROAD .NIRMAN NAGAR
JAIPUR - 302019 , RAJASTHAN

SCALE 1:100

DATE :- 17.03.2025

NORTH POINT



YADURAJ CAMPUS LLP

Designated Partner

Ar. PUNEET DUA
CA/2005/35530

OWNER

ARCHITECT

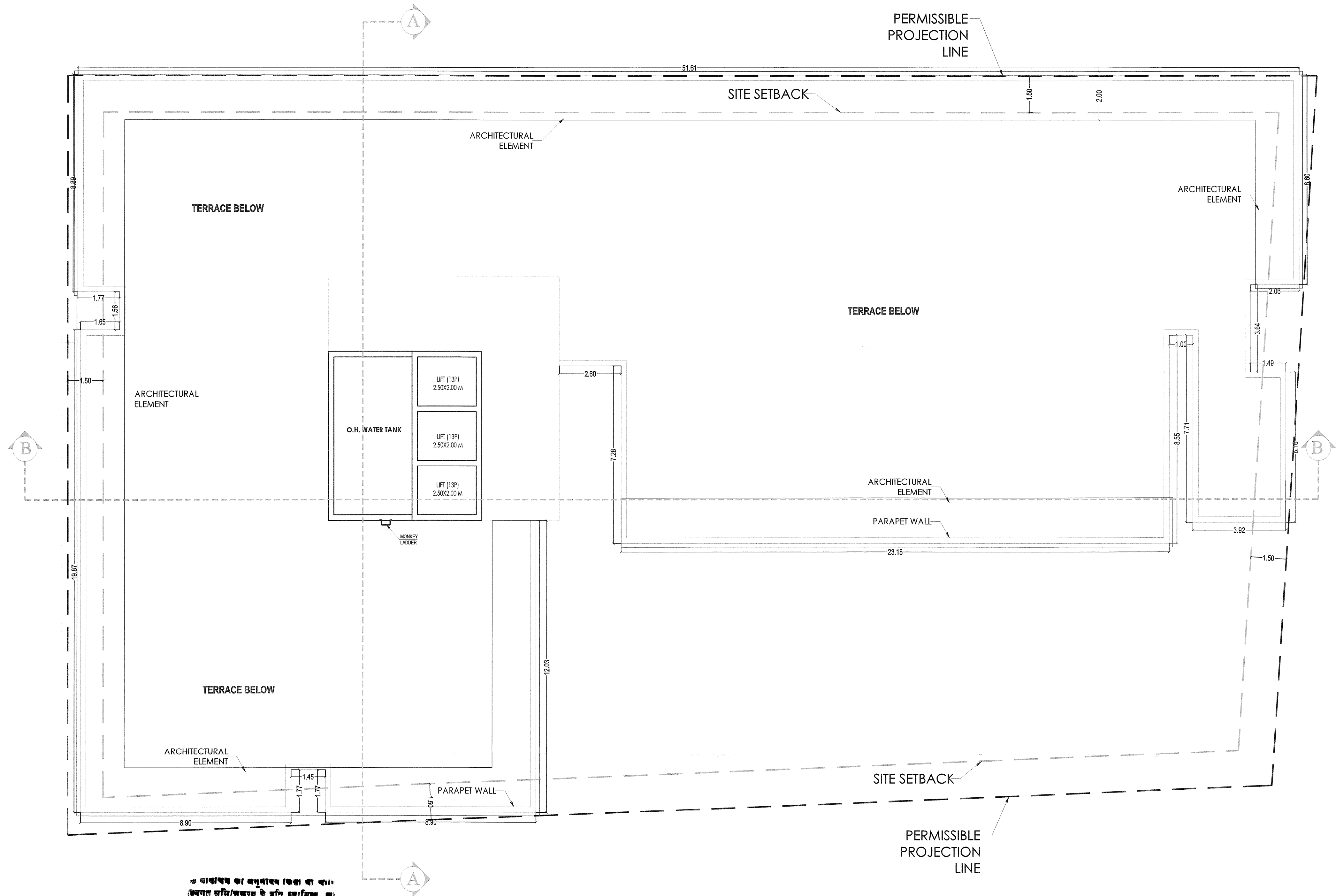
उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

उपनगर नियोजन
नगर नगर नियोजन
नगर नगर नियोजन
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य भवन निर्माण
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य भवन निर्माण
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य भवन निर्माण
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर



अतिरिक्त मुख्य भवन निर्माण
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

DRAWING TITLE:-
MUMTY FLOOR PLAN

PROJECT TITLE:-
SCHOLARIA
PROPOSED STUDIO APARTMENTS AT RF-01
YADURAJ CAMPUS VILLAGE - DAHMI KALAN,
TEH- SANGANER, DIST- JAIPUR (RAJ)

STUDIO SAARTH
ARCHITECT / URBAN DESIGNER

A/C -424 KING'S ROAD .NIRMAN NAGAR
JAIPUR - 302019 , RAJASTHAN

SCALE 1:100

DATE :- 17.03.2025

NORTH POINT



YADURAJ CAMPUS LLP

Designated Partner

Ar. PUNEET DUA
CA/2005/35530

OWNER

ARCHITECT

सर्व अधिकार सुरक्षित हैं।
इस दस्तावेज़ में दर्शाया गया
सभी अधिकार सुरक्षित हैं।
यह दस्तावेज़ केवल
संलग्नता के लिए है।
अन्य किसी भी
उद्देश्य के लिए
इस दस्तावेज़ का
उपयोग नहीं किया
जा सकता है।

संलग्नता

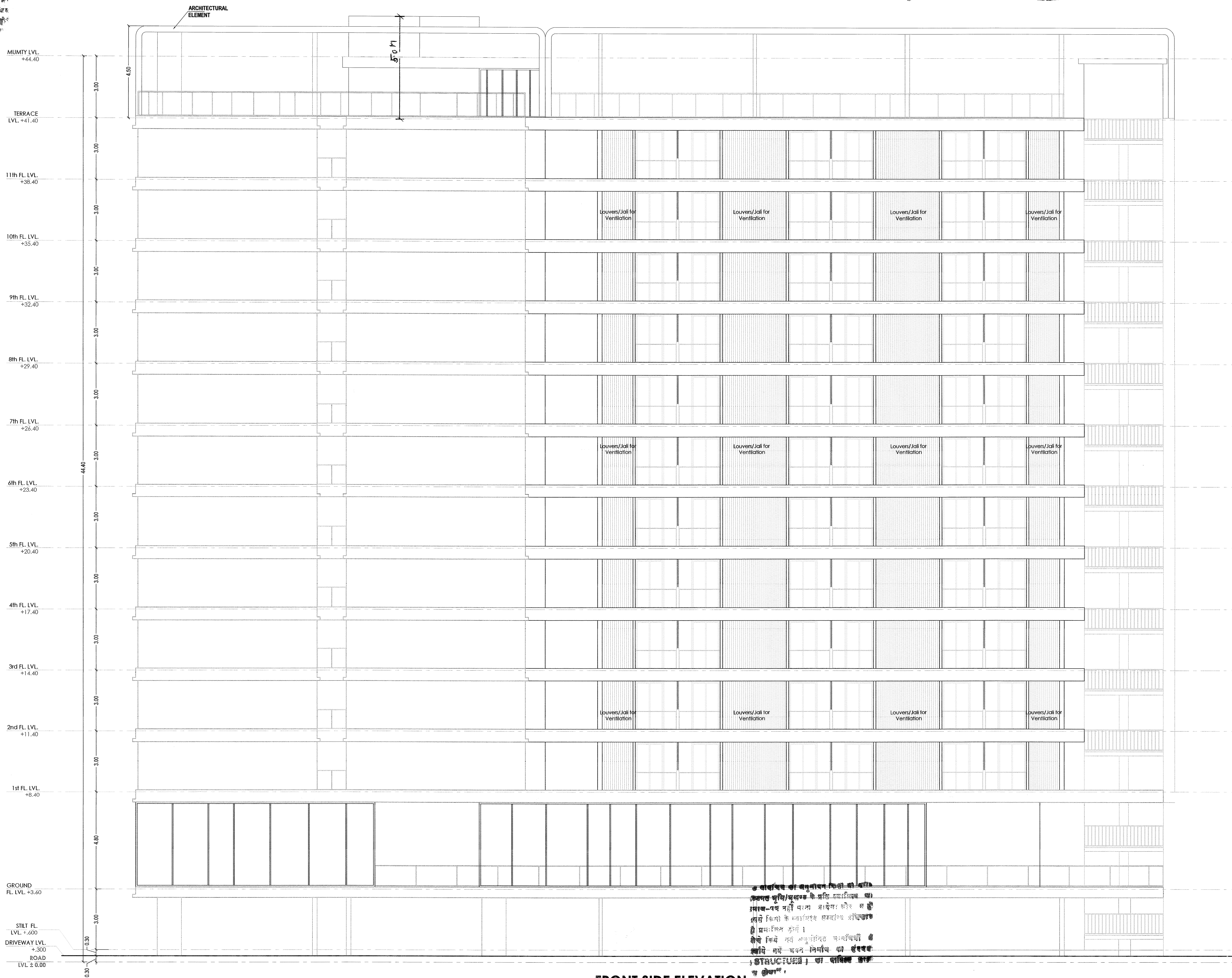
उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

नगर नियोजन
नगर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अतिरिक्त मुद्रा नगर नियोजन
नगर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अनुमति प्राप्त है।
अनुमति प्राप्त है।
अनुमति प्राप्त है।

SHEET NO. 8



FRONT SIDE ELEVATION

DRAWING TITLE:-
FRONT ELEVATION

PROJECT TITLE:-
SCHOLARIA
PROPOSED STUDIO APARTMENTS AT RF-01:-
DAHMI KALAN, TEH:- SANGANER, DIST- JAIPUR (RAJ)

STUDIO SAARTH
ARCHITECT / URBAN DESIGNER

A:C -424 KING'S ROAD .NIRMAN NAGAR
JAIPUR - 302019 , RAJASTHAN

SCALE 1:100

DATE :- 11.02.2025

NORTH POINT



YADURAJ CAMPUS LLP

Designated Partner

Ar. PUNEET DUA
CA/2005/35530

OWNER

ARCHITECT

यह दस्तावेज केवल प्रारम्भिक चरण के लिए है।
इसके अन्तर्गत प्रस्तुत की गई जानकारी केवल
संदर्भ के लिए है।
यह दस्तावेज केवल प्रारम्भिक चरण के लिए है।
इसके अन्तर्गत प्रस्तुत की गई जानकारी केवल
संदर्भ के लिए है।

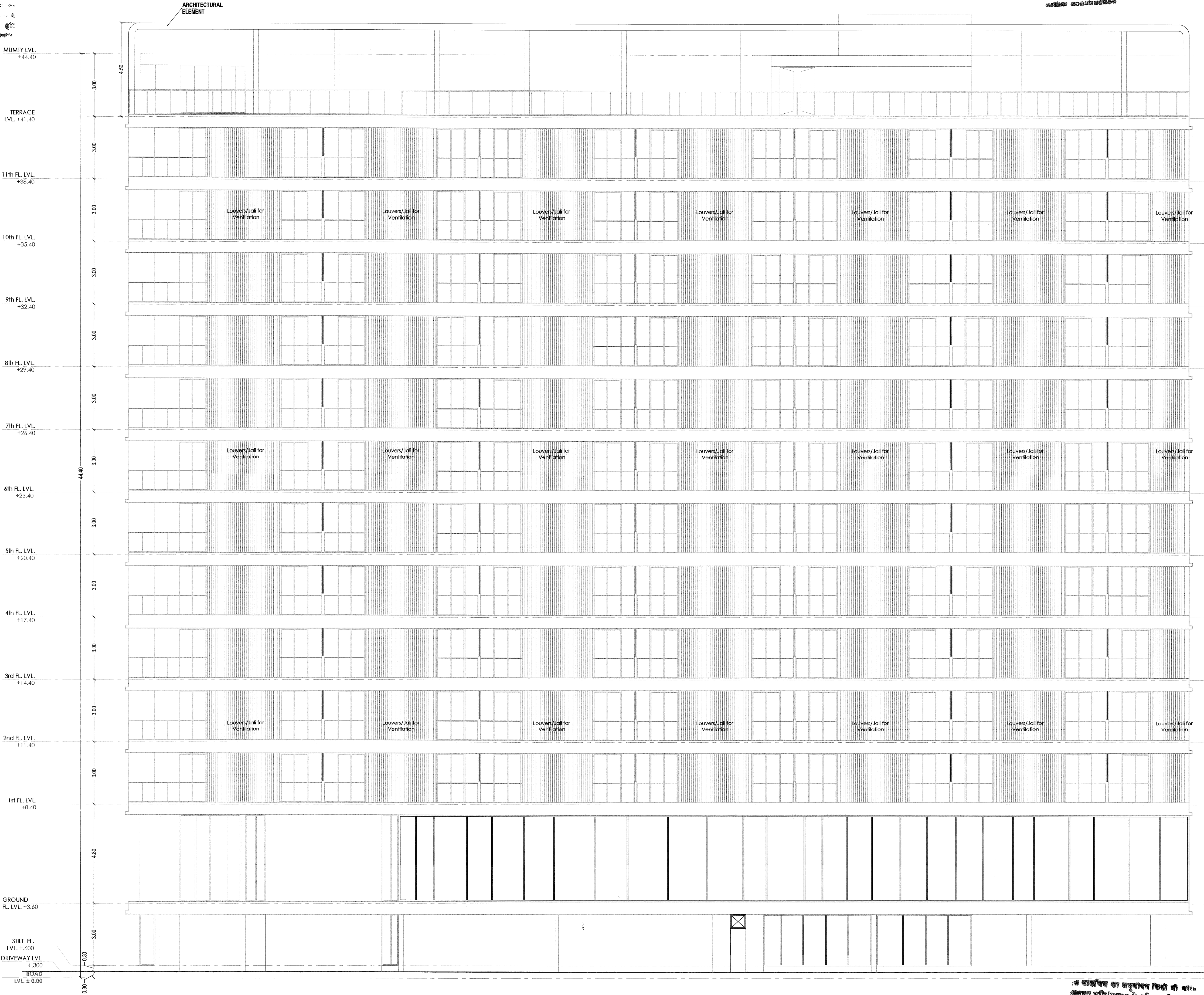
उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

श्री. नगर नियोजन
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

Construction checked at 11.02.2025
before proceeding to
other construction

SHEET NO. 10



BACK SIDE ELEVATION

यह दस्तावेज केवल प्रारम्भिक चरण के लिए है।
इसके अन्तर्गत प्रस्तुत की गई जानकारी केवल
संदर्भ के लिए है।
यह दस्तावेज केवल प्रारम्भिक चरण के लिए है।
इसके अन्तर्गत प्रस्तुत की गई जानकारी केवल
संदर्भ के लिए है।

DRAWING TITLE:-
BACK ELEVATION

PROJECT TITLE:-
SCHOLARIA
PROPOSED STUDIO APARTMENTS AT RF-01:-
DAHMI KALAN, TEH:- SANGANER, DIST- JAIPUR (RAJ)

STUDIO SAARTH
ARCHITECT / URBAN DESIGNER

A:C -424 KING'S ROAD .NIRMAN NAGAR
JAIPUR - 302019 , RAJASTHAN

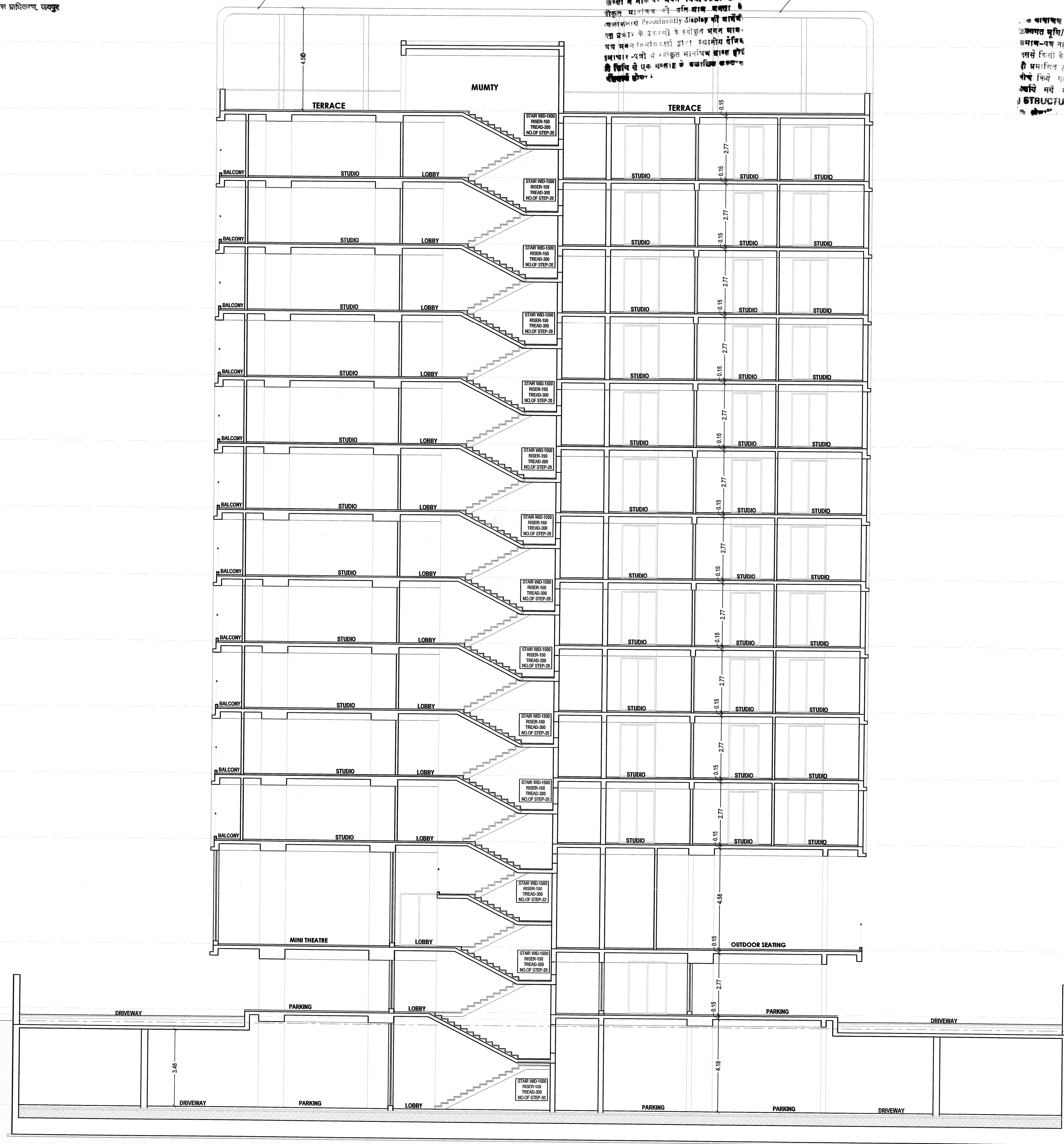
SCALE 1:100
DATE :- 11.02.2025

NORTH POINT
N

YADURAJ CAMPUS LLP
Designated Partner

Ar. PUNEET DUA
CA/2005/35530

OWNER
ARCHITECT

[illegible]

OWNER	ARCHITECT
-------	-----------

अधिक नगर नियोजक
जनन मान्य क्षेत्र समिति
यधुर विकास प्राधिकरण जर


उपनगर नियोजन (3P)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

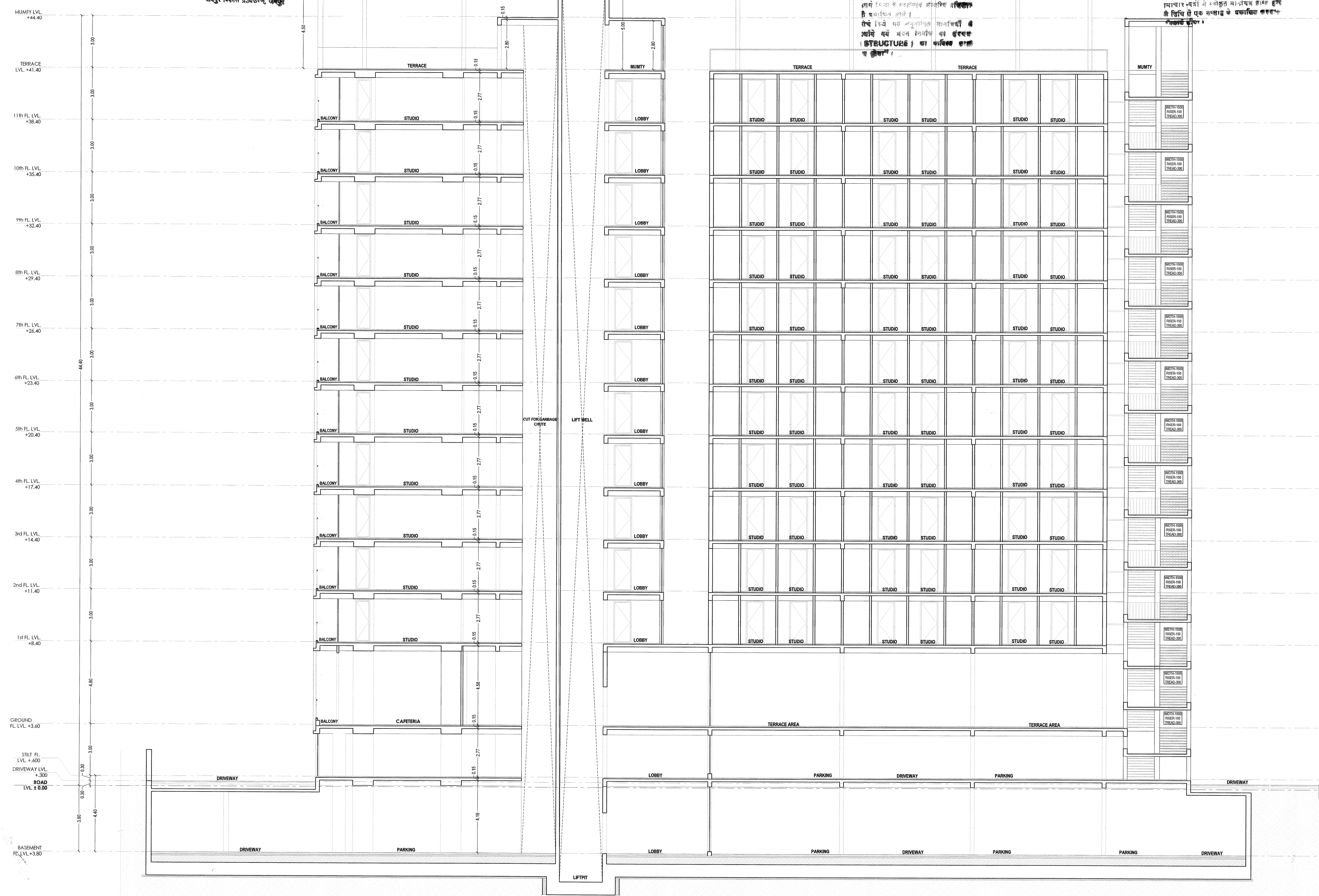
26/05/2025
अतिरिक्त मुख्य नगर निराजक
कमल माधेन सपति
कायपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

ARCHITECTURAL

construction checked at plant
and before proceeding to
other construction

[illegible]

॥ **पञ्च दीपक वरत व्याख्यानिका** ॥
 कक्षाओं के लोके पर भवन विपरीतकी वि
 नीतल मानविकी की प्रति आस बनता
 प्रकाशक प्रमोदप्रदीप प्रकाशनी का
 प्रकाशक की प्रकाशनी के लोके पर बनता
 सब भवन विपरीतकी प्रकाशनी के लोके
 व्याख्यानिका के लोके पर मानविकी का
 की विधि की एक प्रकाशनी के लोके पर बनता



BUILDING SECTION B'B